

२६

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल.

145

क्रमांक/839/927, 20-2, 2002

भोपाल, दिनांक ८.३.२००२

आदेश

शासन के आदेश क्रमांक 543/सचिव प्रारंभिक शिक्षा/2001/दिनांक 5.9.2001 के परिपालन में उद्देश में अप्रशिक्षित शिक्षकों का बैक लौंग दूर करने के लिए शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की समस्त निर्धारित सीट्स विभाग के शिक्षकों/व्याख्याता आदि के लिए आरक्षित रखी गई है। इन सीट्स के लिए चयन के मापदण्ड व प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

❖ चयन प्रक्रिया -

- जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी/आदिम जाति शिक्षा वरिष्ठता के आधार पर अप्रशिक्षित व्याख्याता और शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों की सूची निर्धारित सीट्स से 10% अधिक की संख्या में बगोकर संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में गोंडोंगे। अतिम सूची महाविद्यालय द्वारा वरिष्ठता के आधार पर तैयार की जावेगी।
- किसी भी ऐसे अभ्यार्थी को जिसने पूर्व में शासकीय व्यय पर बी.टी.आई से प्रशिक्षण प्राप्त किया है को बी.एड प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जावेगा।
- प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अधिकतम आयु 1 अप्रैल 2002 को 50 वर्ष से कम होना चाहिए।
- बी.एड प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व प्रशिक्षणार्थी को किसी भी विषय में त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है।
- ऐसे व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षाकर्मी वर्ग 1,2,3 जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के बी.एड में प्रशिक्षणार्थी हो या नहीं का एक नई को मीणकालीन कोर्स कर चुके हों को प्रशिक्षण में न गोंडा जाए।

❖ समयावधि -

- प्रारंभी पहलीवर्षान्य द्वारा प्रशिक्षण हेतु गोंडों जाने वाले शिक्षकों के आदेश इस प्रकार निकाले जाय कि प्रशिक्षणार्थी 20 जून तक अनेकार्य रूप से संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में उपस्थित हो जाएं जबकि उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है।
- दिनांक 25 जून के पश्चात प्रवेश की स्थिति से संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु वरिष्ठता कम में अभ्यार्थियों को भेजा जाए।

❖ स्वीकृत सीट्स का विवरण -

| | |
|------------------------------------|-----|
| - व्याख्याता / शिक्षाकर्मी वर्ग 1 | 10% |
| - शिक्षक / शिक्षाकर्मी वर्ग 2 | 40% |
| - सहायकशिक्षक / शिक्षाकर्मी वर्ग 3 | 50% |

कानूनीधारण निम्नानुसार रहेगा—

| संक्रमित | शाश्वता महाविद्यालय का नाम | एन.सी.टी.इ. द्वारा कुल निर्धारित सीटेस | शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित सीटेस | आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए निर्धारित सीटेस |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | भोपाल | 120 | 95 | 25 |
| 2 | खालियर | 130 | 120 | 10 |
| 3 | उज्जैन | 170 | 140 | 30 |
| 4 | रीवा | 140 | 115 | 25 |
| 5 | खण्डवा | 120 | 95 | 25 |
| 6 | देवारा | 120 | 80 | 40 |
| 7 | छतरपुर | 120 | 100 | 20 |
| 8 | जबलपुर | 215 | 160 | 55 |
| 9 | राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर | 100 | 70 | 30 |
| | योग | 1235 | 975 | 260 |

❖ यदि आदिम जाति कल्याण विभाग से निर्धारित संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग से भरा जावे।

❖ स्थानान्तरण नीति—

प्रशिक्षणार्थियों के महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त, परिवर्तन करने के संबंध में सामान्य नीति महाविद्यालय परिवर्तन नहीं करने की होगी। केवल विशेष परिस्थितियों में प्रवेश ले चुके प्रशिक्षणार्थियों के महाविद्यालय परिवर्तन दोनों प्राचार्यों की सहमति के आधार पर संचालक म0प्र0 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के आदेश से किए जा सकेंगे। विशेष परिस्थिति में भी स्थानान्तर 30 अगस्त के उपरात नहीं किए जायेंगे।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश उपरान्त निम्नानुसार शुल्क देय होंगे—

| क्रमांक | मद का विवरण | राशि |
|---------|---|--------|
| 1 | खेलकूद शारीरिक शिक्षा | 20.00 |
| 2 | मूल्यांकन जांच एवं स्थानीय परीक्षा | 20.00 |
| 3 | विज्ञान एवं मनोविज्ञान सामग्री उपकरण | 20.00 |
| 4 | कार्यानुभव | 10.00 |
| 5 | वाचनालय, बुलेटिन पत्रिका एवं अन्य प्रकाशन | 50.00 |
| 6 | पुस्तकालय काशन मनी | 100.00 |
| 7 | विविद्यालय कीड़ा/सांस्कृतिक | 20.00 |
| 8 | शिक्षण शुल्क | 120.00 |
| | योग | 360.00 |
| 9 | छात्रावास काशनमनी | 200.00 |
| | महायोग | 560.00 |

महाविद्यालयों से संबंधित जिलों के नाम

| क्र. | शिक्षा महाविद्यालय का नाम | संबंधित जिलों के नाम |
|------|--|---|
| १ | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन | उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, नीमच |
| २ | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय देवास | देवास, इन्दौर, झाबुआ, धार |
| ३ | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय खण्डवा | खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, हरदा, होशगाबाद |
| ४ | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल | भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, सीहोर, |
| ५ | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर | जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मण्डला |
| ६ | राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर (केवल विज्ञान संकाय के लिए) | डिडोरी, कटनी, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर |
| ७ | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर | छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ पन्ना |
| ८ | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा | रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया |
| ९ | शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रावलीयर | रवानियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

११७/४८

(यू. के. समन्वय)
प्रमुख सचिव २८/२/२००२
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल.

भोपाल, दिनांक - ८ - ३ - २००२

क्रमांक /४३७/९२८/२०-२/२००२

प्रतिलिपि:-

- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
- सचिव, प्रारंभिक शिक्षा व मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल।
- आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. गौतम नगर, भोपाल।
- आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र. दूसरी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- संचालक, म.प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भोपाल।
- समरत मुख्य कारपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
- संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर।
- प्राचार्य, शास.शिक्षा महाविद्यालय म0प्र0.
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म0प्र0.

४३७/८

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
म.प्र., भोपाल